न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 05/2018 ::

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीः–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

लक्ष्मणराम पुत्र मालाराम सीरवी निवासी 79, अपना विजय नगर, पाली जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री श्याम पंचारिया अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 12/10/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उसके आवासीय मकान 79, अपना विजय नगर, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 11.04.2018 को मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (एल.पी.जी. उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) सभी एच.पी. कम्पनी, एक एच.पी. कम्पनी का ही व्यावसायिक सिलेण्डर (19.00 किग्रा) तथा एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन मय रबर ट्यूब जिससे अवैध रूप से सिलेण्डरों का भण्डारण,रिफिलिंग व बेचाण कर व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने से जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी को बार–बार अवाजे लगाई जाने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 11.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (आर.ए.एस.) के साथ पाली शहर स्थित अप्रार्थी के आवासीय मकान 79, अपना विजय नगर, पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री लक्ष्मणराम पुत्र मालाराम उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही मकान का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री भोपेश ओझा पुत्र ओमप्रकाश ओझा निवासी 394, बापूनगर विस्तार, पाली की उपस्थिति में मकान की जांच करने पर 4 एच.पी. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिनमें तीन क्रमशः 3.300 किग्रा, 14.100 किग्रा व 14.200 किग्रा गैस से भरे हुए व एक खाली एवं एक व्यावसायिक एच.पी. कम्पनी का खाली सिलेण्डर (19.00 किग्रा) तथा एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन मय रबर ट्यूब पायी गयी। मौकें पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के प्रतिनिधी श्री तारा चन्द मीणा पुत्र चुन्नीलाल, निवासी 16–बी, विद्यानगर, बांगड कॉलेज के पीछे, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में भी इसी संबंध में कार्यवाही की जा चुकी है, जिस बाबत इसी न्यायालय में प्रकरण संख्या 5/2017 अप्रार्थी लक्ष्मणराम के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने से दर्ज हुआ है, जिसमें भी आज ही बहस श्रीमान के समक्ष की गई है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से संग्रहण कर अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेने का कृत्य इरादतन कर रहा है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा 4 एच.पी. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिनमें तीन क्रमशः 3.30 किग्रा, 14.10 किग्रा व 14.20 किग्रा गैस से भरे हुए व एक खाली एवं एक व्यावसायिक एच.पी. कम्पनी का खाली सिलेण्डर (19.00 किग्रा) तथा एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन मय रबर ट्यूब को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी के पथरी का ऑपरेशन करवाने के कारण वह चलन–फिरने व उठने–बैठने में असमर्थ होने से दिनांक 11.04.2018 को अपने आवास के उपरी हिस्से में आराम कर रहा था, तब उसके बंद मकान को रसद विभाग की टीम ने खुलवाकर उसकी व उसकी विकलांग पुत्री जो की उसी के आवास के निचले भाग में निवासरत है, उनकी चार एच.पी. कम्पनी की गैस की टंकिया जब्त कर ली तथा एक व्यावसायिक सिलेण्डर जो कि एच.पी. कम्पनी का था, वह कम्पनी के सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले का टेम्पो खराब हो जाने के कारण टेम्पो चालक ने सुरक्षा के कारण उसके मकान में रखा था, उसे भी जब्त कर लिया। यह सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध द्वेषता के कारण की गई है। जबकी अप्रार्थी ट्रेक्टर रिपेयर करके अपनी जिविकोपार्जन करता है, वह अवैध गैस रिफिलींग का कार्य नहीं करता है न ही उसे अवैध घरेलू गैस बेचाण करते हुए पकड़ा गया है। उपरोत सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सिलेण्डर अप्रार्थी व उसकी पुत्री व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर वासूदेव गैस ऐजेन्सी को सुपुर्द कराने के आदेश फरमावें।

सरकारी पैरोकार की बहस एवं अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी के आवासीय मकान 79, अपना विजय नगर, पाली, जिला पाली (राज.) से जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 4 एच.पी. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिनमें तीन क्रमशः 3.30 किग्रा, 14.10 किग्रा व 14.20 किग्रा गैस से भरे हुए व एक खाली एवं एक व्यावसायिक एच.पी. कम्पनी का खाली सिलेण्डर (19.00 किग्रा) तथा एक इलेक्ट्रोनिक मशीन मय रबर ट्यूब दौराने निरीक्षण पाये गये तथा उक्त सामग्री के संबंध में अप्रार्थी द्वारा मय वैधानिक दस्तावेज व सबूतो के साथ स्पष्ट जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उसके आवासीय परिसर में पाये गए घरेलु गैस सिलेण्डर उसके व उसकी पुत्री के है, लेकिन अप्रार्थी द्वारा उन जब्तसुदा घरेलू सिलेण्डर के संबंध में न तो निरीक्षणकर्ता टीम को न ही इस न्यायालय के समक्ष अपने जवाब के साथ किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज आदिनांक तक पेश किए है एवं न ही जब्त व्यावसायिक सिलेण्डर के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किए है। वक्त निरीक्षण लिए गए फोटोग्राफ से भी घरेलू व व्यावसायिक सिलेण्डरों का संग्रहण स्पष्ट है जो अप्रार्थी के घर में मिले है। अप्रार्थी के इस प्रकार जवाब में उल्लेखित तर्क आधार विहीन है। इस बाबत अप्रार्थी पर एक अन्य प्रकरण संख्या 05/2017 भी इसी संबंध में न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसमें अप्रार्थी को घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने के कारण उससे जब्तसुदा सिलेण्डर व सामग्री को आज ही दिनांक 12.10.2018 को राज्यसात करने के आदेश दिए गए है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी अवैध घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसाय आदतन करता है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री लक्ष्मणराम द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी.

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों, एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर तथा अन्य जब्त सुदा सामग्री को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने आवासीय मकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने से 4 एच.पी. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिनमें तीन क्रमशः 3.30 किग्रा, 14.10 किग्रा व 14.20 किग्रा गैस से भरे हुए व एक खाली एवं एक व्यावसायिक एच.पी. कम्पनी का खाली सिलेण्डर (19.00 किग्रा) तथा एक इलेक्ट्रोनिक मशीन मय रबर ट्यूब पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर नियमानुसार उससे प्राप्त राशि को तथा एक इलेक्ट्रोनिक मशीन मय रबर ट्यूब को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)